न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रकरण सं. 96/2017

प्रार्थी	ब नाम	विप्रार्थीगण
गोविन्दराम पुत्र वस्ताराम जाति माली निवासी जसोल, तह. पचपदरा जि. बाड़मेर		1. नेमाराम पुत्र जवाराराम जाति माली नि. जसोल 2. प्रकाशसिंह पुत्र देवीसिंह, जाति राजपूत 3. हरिसिंह पुत्र देवीसिंह, जाति राजपूत 4. भगवतसिंह पुत्र देवीसिंह, जाति राजपूत निवासियान जसोल, तह. पचपदरा

आदेश

दिनांक: 18-10-2017

उपस्थित –
1. श्री अचलाराम थोरी विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से –
2. श्री उम्मेदसिंह चाम्पावत विद्वान अधिवक्ता, विप्रार्थी सं. 01 की ओर से –

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रकरण इस आशय का पेश किया कि, उसकी खातेदारी का खेत खसरा सं. 1456/510 रकबा 24 बीघा 10 विस्वा मौजा जसोल में आया हुआ है, जो भूमि प्रार्थी द्वारा काश्त कार्य हेतु उपयोग उपभोग ली जा रही है, जिसमें आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये मार्क ए. से बी. बरंग लाल भाग रास्ता चौड़ा 13 फीट जो पड़ौसी खसरा सं. 500 व 502 में से घोषित किया जावे, उक्त रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जिससे प्रस्तावित रास्ता वर्तमान में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है ।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया, जिस पर विप्रार्थी सं. 01 ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि, उसकी खातेदारी के खसरा सं. 500 के पूर्वी–दक्षिणी किनारे पर मेरी पुश्तैनी वक्त से ढाणी बनी हुई है, मगर प्रार्थी मेरी ढाणी को नष्ट कराने की नीयत वश उक्त रास्ता मेरे ही खेत में चाहा है, जो गलत है, प्रार्थी के नजदीक में सांचोर से बालोतरा, सिवाना से बालोतरा चौराहे से जसोल मार्ग के पूर्व दिशा में खसरा सं. 500 स्थित है, और 510 खसरा नं. का ही हिस्सा प्रार्थी के खातेदारी का है, फलस्वरूप उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि उक्त रास्ते से लगती भूमि का ही अभिन्न अंग है, प्रार्थी को उसके खेत के पूर्व–उत्तरी दिशा में स्थित हमारे खेतों में से रास्ता पाने का कोई हक, अधिकार किसी भी रूप में नहीं है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व्यय सहित खारिज किया जावे।

विप्रार्थी सं. 02 ता 04 ने सहमति दी कि, प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले जरिये विनिमय जितने रकबे को रास्ते हेतु उपयोग लिया गया है, उतनी भूमि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा सं. 1456/510 के रकबे में से देता है और खेत की बाड़ पुनः यथावत कायम करता हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

दोनों पक्षों की ओर से लिखित जवाब पेश होने के बाद मौके की रिपोर्ट भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा से चाही गई, जो रिपोर्ट दिनांक 01.06.2017 को प्राप्त हुई, रिपोर्ट अनुसार खसरा सं. 500, 501, 502 मौजा जसोल का मौका देखा गया, खसरा सं. 502 की माठ पर खेत खुला पड़ा है, लेकिन खातेदार अपने खेत में एक गट्टा व खसरा नं. 500 में एक गट्टा रास्ता निकलाने पर सहमत है । लेकिन खसरा सं. 500 का खातेदार रास्ता एक गट्टा चौड़ा व 48 गट्टा चौड़ा देने में सहमत नहीं है, चूँकि प्रार्थना पत्र में खसरा नं. 500 व 502 में ही रास्ता मांगा गया है ।

हमने दोनों पक्षों के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस को सुना, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात मौका रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया ।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि, प्रार्थी के पास निकटतम दूरी का रास्ता जो प्रार्थी द्वारा चाहा गया है, वो ही है, अलावा इसके खसरा सं. 502 के खातेदार द्वारा भूमि के बदले प्रार्थी की भूमि में से जरिये विनिमय भूमि प्राप्त करने हेतु सहमति देकर परिशिष्ट "अ" अनुसार रास्ता देने हेतु सहमति दी है, अन्य कोई रास्ता नजदीक व सुगम का नहीं है, प्रार्थी जो रकबा विप्रार्थी के खाते में से रास्ते हेतु उपयोग होने वाले रकबे का मुआवजा

[illegible]

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण सं. 96/2017

प्रार्थी ब नाम विप्रार्थीगण

गोविन्दराम पुत्र दलाराम जाति माली 1. नेमाराम पुत्र जयराम जाति माली नि. जसोल

निवासी जसोल, तह. पचपदरा जि. बाड़मेर 2. प्रकाशसिंह पुत्र देवीसिंह, जाति राजपूत

3. हरिसिंह पुत्र देवीसिंह, जाति राजपूत

4. भगवतसिंह पुत्र देवीसिंह, जाति राजपूत

निवासियान जसोल, तह. पचपदरा

दिनांक: 18-10-2017

आदेश

उपस्थित –

1. श्री अचलाराम थोरी विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से –
2. श्री उम्मेदसिंह चाम्पावत विद्वान अधिवक्ता, विप्रार्थी सं. 01 की ओर से –

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रकरण इस आशय का पेश किया कि, उसकी खातेदारी का खेत खसरा सं. 1456/510 रकबा 24 बीघा 10 विस्वा मौजा जसोल में आया हुआ है, जो भूमि प्रार्थी द्वारा काश्त कार्य हेतु उपयोग उपभोग ली जा रही है, जिसमें आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये मार्क ए. से बी. बरंग लाल भाग रास्ता चौड़ा 13 फीट जो पड़ौसी खसरा सं. 500 व 502 में से घोषित किया जावे, उक्त रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जिससे प्रस्तावित रास्ता वर्तमान में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है ।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया, जिस पर विप्रार्थी सं. 01 ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि, उसकी खातेदारी के खसरा सं. 500 के पूर्वी–दक्षिणी किनारे पर मेरी पुश्तैनी वक्त से ढाणी बनी हुई है, मगर प्रार्थी मेरी ढाणी को नष्ट कराने की नीयत वश उक्त रास्ता मेरे ही खेत में चाहा है, जो गलत है, प्रार्थी के नजदीक में सांचोर से बालोतरा, सिवाना से बालोतरा चौराहे से जसोल मार्ग के पूर्व दिशा में खसरा सं. 500 स्थित है, और 510 खसरा नं. का ही हिस्सा प्रार्थी के खातेदारी का है, फलस्वरूप उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि उक्त रास्ते से लगती भूमि का ही अभिन्न अंग है, प्रार्थी को उसके खेत के पूर्व–उत्तरी दिशा में स्थित हमारे खेतों में से रास्ता पाने का कोई हक, अधिकार किसी भी रूप में नहीं है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व्यय सहित खारिज किया जावे।

विप्रार्थी सं. 02 ता 04 ने सहमति दी कि, प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले जरिये विनिमय जितने रकबे को रास्ते हेतु उपयोग लिया गया है, उतनी भूमि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा सं. 1456/510 के रकबे में से देता है और खेत की बाड़ पुनः यथावत कायम करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

दोनों पक्षों की ओर से लिखित जवाब पेश होने के बाद मौके की रिपोर्ट भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा से चाही गई, जो रिपोर्ट दिनांक 01.06.2017 को प्राप्त हुई, रिपोर्ट अनुसार खसरा सं. 500, 501, 502 मौजा जसोल का मौका देखा गया, खसरा सं. 502 की माठ पर खेत खुला पड़ा है, लेकिन खातेदार अपने खेत में एक गट्टा व खसरा नं. 500 में एक गट्टा रास्ता निकलाने पर सहमत है । लेकिन खसरा सं. 500 का खातेदार रास्ता एक गट्टा चौड़ा व 48 गट्टा चौड़ा देने में सहमत नहीं है, चूँकि प्रार्थना पत्र में खसरा नं. 500 व 502 में ही रास्ता मांगा गया है ।

हमने दोनों पक्षों के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस को सुना, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात मौका रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया ।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि, प्रार्थी के पास निकटतम दूरी का रास्ता जो प्रार्थी द्वारा चाहा गया है, वो ही है, अलावा इसके खसरा सं. 502 के खातेदार द्वारा भूमि के बदले प्रार्थी की भूमि में से जरिये विनिमय भूमि प्राप्त करने हेतु सहमति देकर परिशिष्ट "अ" अनुसार रास्ता देने हेतु सहमति दी है, अन्य कोई रास्ता नजदीक व सुगम का नहीं है, प्रार्थी जो रकबा विप्रार्थी के खाते में से रास्ते हेतु उपयोग होने वाले रकबे का मुआवजा न्यायालय द्वारा जो निर्धारित किया जावे, देने हेतु तैयार है ।

2

वकील विप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि, विप्रार्थी द्वारा खसरा सं. 500 के उत्तरी दिशा पर जो खेत का सेड़ा है, वहां पर रास्ता दिया जावे, जो दक्षिणी तरफ रास्ता मांगा गया है, वो अनुचित है, क्योंकि विप्रार्थी के आवास के पास हे, आवास के पास रास्ता नहीं दिया जा सकता, विप्रार्थी की तारबंदी को नुकशान हो रहा हैं, और प्रार्थी के द्वारा चाहे गये स्थान पर रास्ता देने से प्रार्थी को आर्थिक क्षति होगी। अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया, बाद गौर चूँकि प्रार्थी खसरा सं. 1456/510 रकबा 24 बीघा 10 विस्वा मौजा जसोल का रेकर्डेड खातेदार है, और उक्त भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग लेने का कथन किया है, मौके पर उक्त भूमि के लगता कोई कटाण का रास्ता नहीं है, तथा प्रार्थी द्वारा दो गट्टा चौड़ा और परिशिष्ट "अ" में ए. से बी. मार्क तक लम्बा जो रास्ता चाहा है, वो सबसे नजदीकी रास्ता प्रतीत हो रहा है, और काश्तकार को अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ता पाने का विधिक अधिकार प्राप्त है, यही मंशा धारा 251 ए. आर.टी.ए. की रहे है। परिशिष्ट "अ" में मार्क ए. से बी. रास्ता घोषित करने में खसरा सं. 502 के खातेदार ने सहमति प्रदान की है, और साथ ही यह भी कथन किया हैं कि खसरा सं. 502 में से जितनी भूमि रास्ते हेतु उपयोग ली जावेगी, उतना ही रकबा प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा सं. 1456/510 के रकबे में से विप्रार्थी सं. 2 ता 4 के नाम जरिये विनिमय लेने हेतु सहमत है, इस कारण खसरा नं. 502 में से रास्ते हेतु घोषित भूमि का कोई मुआवजा प्राप्त नहीं करना चाहा। खसरा नं. 500 में से 1 गट्टा चौड़ा व खसरा सं. 502 के सेड़े तक 48 गट्टा लम्बा तथा खसरा नं. 502 की भूमि में से दो गट्टा चौडा व 84 गट्टा लम्बा का रास्ता देना उचित प्रतीत होता है, खसरा सं. 501 के खातेदार न तो वर्तमान प्रकरण में पक्षकार हैं और न ही उसमें से कोई रास्ता घोषित करना उचित ही प्रतीत होता है । चूँकि मौका फर्द अनुसार सरहद मौजा जसोल की डी.एल.सी. रेट प्रति बीघा 2,23,900/– रूपये होना बतायी है, खसरा नं. 500 में एक गट्टा चौड़ा व 48 गट्टा लम्बा रास्ता घोषित करने से कुल 48 विस्वान्सी भूमि रास्ते हेतु उपयोग हो रही है, जिस अनुसार कुल 26868/– बनते है, धारा 251 ए. आर.टी.ए. में प्रावधित प्रावधान अनुसार उक्त राशि का दो गुना यानि कुल 53,736/– रूपये मात्र विप्रार्थी सं. 1 नेमाराम बतौर क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रार्थी से प्राप्त करने का अधिकारी है, साथ ही तारबंदी इत्यादि के मुआवजा के तौर पर 10,000/– अतिरिक्त पाने का अधिकारी प्रतीत होता है। कुल रूपये 63,736/– विप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी से प्राप्त करने का अधिकारी है, उक्त राशि यदि विप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी से रोकड़ प्राप्त करना चाहता है, तो कर सकता है और विप्रार्थी सं. 1 रोकड़ प्राप्त नहीं करने की सूरत में प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवावे । जो राशि विप्रार्थी सं. 1 पाने का अधिकारी होगा । चूँकि विप्रार्थी सं. 2 ता 4 ने रास्तें हेतु जितनी भूमि उपयोग लेना बताया है, उतनी भूमि बतौर विनिमय प्रार्थी की खातेदारी में से पुनः प्राप्त करने की सहमति दी है, ऐसी सूरत में विप्रार्थी सं. 2 ता 4 को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि दिलाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए. आर.टी.ए. स्वीकार कर आदेश दिया जाता हैं कि निर्णय के संलग्न परिशिष्ट "अ" में वर्णित मार्क ए. से सी. भाग तक खसरा सं. 500 में एक गट्टा चौड़ा व 48 गट्टा लम्बा रास्ता घोषित किया जाता है, इसी प्रकार मार्क सी. से बी. खसरा सं. 502 में 2 गट्टा चौड़ा व 84 गट्टा लम्बा रास्ता घोषित किया जाता है और इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा एवं खतौनी में अमल दरामद करें और रास्ते हेतु घोषित रकबा सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें और मूल रकबे में से उक्त रकबा कम किया जावे ।

आदेश आज तारीख 19-10-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.),
सहायक कलेक्टर.

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. 324 / 2017

प्रार्थी	ब नाम	विप्रार्थीगण
1. कुंभाराम पुत्र भगाराम 2. हरकू बेवा मोहनराम, 3. रमेश पुत्र मोहनराम, 4 इन्द्रा पुत्री मोहनराम, 5. हवली पुत्री भगाराम, 6. पप्पीदेवी पुत्री भगाराम. सभी जातियान जाट निवासियान नन्दवान तह. व जिला जोधपुर		1. वीरमाराम पुत्र भगाराम जाति जाट निवासी नन्दवान तहसील व जिला जोधपुर 2. भुमिधारक तहसीलदार पचपदरा 3. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. भारतीय स्टेट बैंक कल्याणपुर जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए

उपस्थित –
1. श्री जेठाराम सिंहल विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से –
2. श्री रतनलाल चौधरी विद्वान अधिवक्ता, विप्रार्थीगण की ओर से –

दिनांकः 31-10-2017

आदेश

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रकरण इस आशय का पेश किया कि, सरहद मौजा मोरड़ा की राजस्व सीमा में खेत खसरा सं. 11 रकबा 04 बीघा 14 विस्वा, खसरा सं. 12 रकबा 05 बीघा, खसरा सं. 16 रकबा 282 बीघा 08 विस्वा, खसरा सं. 18 रकबा 62 बीघा 15 विस्वा, खसरा सं. 20 रकबा 179 बीघा 05 विस्वा कुल रकबा 534 बीघा 02 विस्वा, नरपतकरण के खातेदारी की थी, लक्ष्मणराम, भगाराम, अणदाराम तीनों ही सगे भाई थे, लक्ष्मणराम व भगाराम दोनो सगे साढु भी थे, भगाराम ने अपने बड़े पुत्र विप्रार्थी सं. 01 के नाम 1/6 हिस्सा तथा लक्ष्मणराम ने अपने बड़े पुत्र जीवाराम के नाम 1/6 हिस्सा तथा अणदाराम द्वारा अपने पुत्र भूराराम के नाम 1/6 हिस्सा, बन्नाराम के द्वारा अपने पौत्र नारायण के नाम 1/6 हिस्सा तथा अपने पौत्र धन्नाराम के नाम 1/6 हिस्सा व अपने पुत्र रूपाराम के नाम 1/6 हिस्सा संयुक्त बेचाननामें दिनांक 21.07.1967 में खरीद कर दर्ज करवाये, और मौके पर कब्जा प्राप्त किया, भगाराम, लक्ष्मणराम, अणदाराम के नाम भूमि खरीद की, उस समय उनकी आयु 19–20 वर्ष थी, तीनों पुत्रों की आय का कोई साधन नहीं था, अन्य पुत्रान सभी नाबालिग थे, तीनों भाईयों द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से संयुक्त हिन्दू परिवार के उपयोग उपभोग हेतु भूमि खरीद की भगाराम ने अपने पुत्र विरमाराम के नाम जो लगभग 50 वर्ष पूर्व 1/6 हिस्सा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खरीद किया था, पर भगाराम के जीवनकाल से सभी वारिसान का संयुक्त रूप से कब्जा कायम रहा व हैं । उस वक्त प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी नाबालिग थे, उक्त भूमि वर्तमान रेकर्ड में विप्रार्थी सं. 1 के नाम जरिये बंटवाड़ा खसरा सं. 16, 154/18 दर्ज हैं, जो संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पति होने से सभी सदस्यों का उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से हक, अधिकार व कब्जा है । जीवनराम के हिस्से में जो भूमि आयी, जीवनराम के वारिस ने अलग अलग बक्षीसनामों के जरिये प्राप्त की तथा इसी प्रकार से भूराराम ने भी अपनी सम्पति अपने सभी परिवार के सदस्यों को हिस्से में दी, जो सम्पति वीरमाराम के नाम खसरा सं. 16 व 154/18 दर्ज है, में भगाराम के सभी वारिसान का संयुक्त हक, कब्जा मालिकाना का है, सजनीदेवी के देहान्त पर परिवार के सदस्यों ने विरमाराम से निवेदन किया कि उक्त सम्पति में प्रत्येक प्रार्थी एवं विप्रार्थी का समान हिस्सा है, रेकर्ड में जरिये बक्षीस दर्ज करवा दे ताकि भविष्य में विवाद नहीं हों, किन्तु विप्रार्थी ने ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया और भूमि को अन्य व्यक्ति को बेचान, रहन ट्रांसफर करने की धमकी दी।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, जिस पर विप्रार्थी सं. 01 ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि, भगाराम ने कभी भी 1/6 हिस्सा खरीद कर विप्रार्थी सं. 01 के नाम दर्ज नहीं करवाया है, और प्रार्थीगण का यह कथन ... है कि ... के पास आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं हो, और भूमि संयुक्त हिन्दू